



बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020

जिला = औरंगाबाद

अनुलग्नक - ड. 2

Annexure - E 2

निर्वाचन व्ययों का सारविवरण

Abstract Statements of Election Expenditure

निर्वाचन व्ययों का सार विवरण

भाग-1

अप्यर्थी का नाम : <i>शैलेश राठी</i>	श्री/श्रीमती/कुमारी
निर्वाचन क्षेत्र संख्या एवं नाम <i>222 कुडुवा विधान सभा</i>	
इस/उस क्षेत्र का नाम <i>विहार</i>	
निर्वाचन का प्रकार (उच्च विधान सभा/लोक सभा के साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन का उल्लेख करें)	
निर्वाचन प्रणाली की विधि	
निर्वाचन अधिकारी का नाम एवं पता	
यदि अप्यर्थी हार्जैतिक मत द्वारा चुना गया है, तो कृपया उस हार्जैतिक मत का नाम उल्लेख करें	<i>अखिल हिन्दू मजदूर संघ (कॉन्ग्रेसी)</i>
क्या हार्जैतिक मत एक अनपेक्षित प्रत्येक मत है ?	<i>हाँ/नहीं ?</i>

अप्यर्थी का हस्ताक्षर

नाम *शैलेश राठी*

भाग-II अभ्यर्षी के निर्वाचन व्यय का सार विवरण

विवरण	अभ्यर्षी/उसके निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपगत/प्राधिकृत व्यय (रुपये में)	राजनीतिक दल द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि (रुपये में)	अन्य द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि (रुपये में)	कुल निर्वाचन व्यय (स्तंभ 3, 4 एवं 5 का योग)
2	3	4	5	6
जन सभाएं, सैली, कुतूब इत्यादि पर व्यय । क : जन सभा, सैली कुतूब इत्यादि पर व्यय (अर्थात् : राजनीतिक दल के स्तर प्रचलित सहित होने वाले व्ययों को छोड़कर) (अनुबंध 1 के अनुसार संगणन करें।)	Nil	Nil	Nil	Nil
। ख : स्तर प्रचलित (सर्व) के साथ जन सभा, सैली, कुतूब इत्यादि पर व्यय (अर्थात् : साधारण पार्टी प्रचार व्यय व्ययों को छोड़कर) अनुबंध 2 के अनुसार संगणन करें।	"	"	"	"
। ग : जन सभा - । में उन्निकृत जन सभाओं, सैलियों, कुतूब इत्यादि में प्रचलित प्रचार सामग्री को छोड़कर अन्य प्रचार सामग्री (अनुबंध 3 के अनुसार संगणन करें)	12600	"	"	12600
। घ : प्रचार मंत्रालय, कलकत्ता एवं अन्य जगह पर इंटरनेट और सोशल मीडिया सहित डिजिटल प्रचार प्रणाली के माध्यम से प्रचार (अनुबंध 4 के अनुसार संगणन करें)	"	"	"	"
अभ्यर्षी द्वारा प्रचलित प्रचार सामग्री (सर्व) पर व्यय (अनुबंध 5 के अनुसार संगणन करें)	22433			22433
प्रचार सामग्री/सर्विस/सर्विसों का व्यय (अनुबंध 6 के अनुसार संगणन करें)	6900			6900
अन्य व्यय प्रचार व्यय	8676			8676
कुल योग	50078			50078

2/11/2017

भाग-III अभ्यर्थी द्वारा खर्च की गई निधियों के स्रोत का सार

विवरण	रशि (रूपये में)
2	3
निर्वाचन प्रचार के लिए प्रयुक्त निजी निधि की रशि (अनुसूची 7 के अनुसार संलग्न करें)	₹ 0073
पार्टी (टिक्के) से नकदी या चेक इत्यादि में प्राप्त एकमुश्त रशि (अनुसूची 8 के अनुसार संलग्न करें)	₹ 0
किसी व्यक्ति / कंपनी / फर्म / संघों / वैयक्तिक निकायों इत्यादि से ऋण, उपहार या चंदे इत्यादि के रूप में प्राप्त एकमुश्त रशि (अनुसूची 9 के अनुसार संलग्न करें)	10,000
कुल	₹ 50073

शैलेश दाई

अध्याय-1 से।७ निर्वाचन विधियों एवं अभ्यर्थी के व्यय का विवरण .

सूचि-1

सभा/रैली/जुलूस आदि (अर्थात् राजनैतिक दल के स्टार प्रचारक के साथ से अन्य) में व्यय

व्यय का स्वरूप	कुल धन राशि, रुपये में	व्यय के स्रोत		
		अभ्यर्थी/अभिकर्ता द्वारा उपगत/ अधिकृत राशि	राजनैतिक दलों के नाम सहित उपगत राशि	अन्यों के द्वारा उपगत राशि
2	3	4	5	6
आगंतुकों के परिवहन के लिए वाहन				
मंच, पंडाल एवं फर्नीचर, फिक्सचर, पोल आदि तैयार करना				
तोरण एवं बैरिकेड आदि				
फूल/माला	200	200		
लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, एम्पलिफायर, मिलानकर्ता आदि भाड़े पर लेना	10800	10800		
पोस्टर, हैंडबिल्ले, पैम्पलैट, बैनर, कट आउट, होर्डिंग	1600	1600		
पेय जैसे चाय, पानी, कोल्डड्रिंक जूस आदि	—			
डिजिटल टी वी- बोर्ड डिस्प्ले, प्रोजेक्टर डिस्प्ले, टिकर बोर्ड, 3डी डिस्प्ले	—			
गण्यमान्य व्यक्तियों पर व्यय, संगीतज्ञों को भुगतान, अन्य कलाकारों का पारिश्रमिक आदि	—			
प्रकाश की मदद जैसे पॉपुलर लाईट, बोर्ड आदि	—			
परिवहन पर व्यय, हेलीकाप्टर/एयरक्राफ्ट/वाहन/नाव आदि का प्रभार (स्वयं, गण्यमान्य व्यक्ति या स्टार प्रचारक के अलावा कोई अन्य प्रचारक के लिए)	—			
विद्युत खपत/जनेरेटर प्रभार	—			
स्थल के लिए किराया	—			
गार्ड एवं सुरक्षा प्रभार	—			
स्वयं, गण्यमान्य व्यक्ति, दल कार्यकर्ता या स्टार प्रचारक सहित कोई अन्य प्रचारक के लिए रहने व खाने की व्यय	—			
अन्य व्यय				
	12600	12600		

श्री. ल. 21/1/11

पृष्ठ-2

प्रचारक (कों) के साथ सार्वजनिक बैठक, रैली, जुलूस आदि में अभ्यर्ची पर यथा संभाजित व्यय
 साथ उन व्ययों के जो सामान्य दल प्रचार पर किए गए हैं)

दिनांक एवं स्थान	स्टार प्रचारक (कों) के नाम एवं दल का नाम	स्टार प्रचारक (कों) के साथ सार्वजनिक बैठक, रैली, जुलूस आदि में अभ्यर्ची पर यथा संभाजित व्यय (सिवाय उन व्ययों के जो सामान्य दल प्रचार पर किए गए हैं) की राशि रुपये में)			टिप्पणी यदि कोई हो
		4			
2	3	खर्च का स्रोत	राजनैतिक दल द्वारा राशि	अन्य के द्वारा राशि	
		अभ्यर्ची/एजेंट के द्वारा राशि			

शेले 2/2/16

H

रुचि-3

प्यों के निर्वाचन प्रचार के लिए प्रचार सामग्री जैसे हैंड बिल, पैम्फलेट्स, पोस्टरों, होर्डिंग, बैनरों, कट आउट्स, गेट एवं आर्च, प्यों एवं ऑडियो कॅसेट्स, सी.डी./वी.डी, लाऊड स्पीकरों, एम्प्लिफायरों, डिजिटल टी.वी./बोर्ड, डिसप्ले, 3 डी डिसप्ले आदि व्यय का विवरण (अर्थात : अनुसूची - 1 एवं 2 में शामिल के अलावा)

व्ययों का स्वरूप	कुल धन राशि, रूपये में	व्यय के स्रोत				टिप्पणी यदि कोई हो
		अप्यार्थ/एजेंट द्वारा राशि	राजनीतिक दल द्वारा राशि	अन्यों के द्वारा राशि		
2	3	4	5	6	7	
डीमर	240	240				
श्री-5 जिला / (पोस्टरों)	1600	1600				
लखिउ स्पीकर सेट जारी पर 3 दिन कर. 1200	9800	9800				
	11640	11800				

श्री. वि. अ. दा. 15.10.18

इंटरनेट, ब्लॉक एस एम एस या इंटरनेट अथवा सोशल मीडिया, न्यूज मर्चे/ टी वी रेडियो चैनल इत्यादि सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रचार पर व्यय के व्योरे जिसमें एम सी एम सी या अभ्यर्थियों द्वारा स्वच्छित रूप से स्वीकार्य पेड न्यूज भी शामिल है। व्योरे में स्वामित्व वाले अखबारों/टी.वी./रेडियो चैनल इत्यादि में प्रदर्शित/प्रकाशित होने वाली ऐसी सभी न्यूज मर्चे पर उपगत व्यय शामिल है:

मीडिया (इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट) की प्रकृति तथा अवधि	मीडिया प्रोवाइडर का नाम व पता (प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक/एस एम एस/वाईस/केबल टी.वी, सोशल मीडिया आदि)	एजेंसी, रिपोटर, स्वतंत्र, पत्रकार, कम्पनी या कोई अन्य व्यक्ति जिसे यदि कोई है (तो प्रचार/कमीशन किया गया है/देव है)	कुल राशि (रु में) स्तम्भ (3)+(4)	व्यय के स्रोत		
				अभ्यर्थी/अभिकर्ता द्वारा राशि	राजनैतिक दल द्वारा राशि	अन्यों द्वारा राशि
2	3	4	5	6	7	8

श्रीलक्ष्मी

March

आप का मत क्या है
यहाँ लिखिए

30 जनवरी
09 जनवरी

आपका मत क्या है
यहाँ लिखिए

10 जनवरी
14 जनवरी

आपका मत क्या है
यहाँ लिखिए

टवर्क, ब्लक एम एम एस या इंटरनेट अथवा सोशल मीडिया, न्यूज चैनल/ टी वी रेडियो चैनल इत्यादि सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार पर व्ययों के बारे में एम सी एम सी द्वारा निश्चित या अभ्यर्थी द्वारा स्वैच्छित रूप से स्वीकार्य पेड न्यूज भी शामिल है। व्ययों में अभ्यर्थी को प्रयोजित करने वाले राजनैतिक अभ्यर्थी के स्वामित्व वाले अखबार/टी.वी./रेडियो चैनल में प्रदर्शित/प्रकाशित होने वाले ऐसे सभी न्यूज चैनलों पर उपगत व्यय शामिल है:

मीडिया की प्रकृति (इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट) तथा अवधि 1	मीडिया प्रोवाइडर का नाम और पता (प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक/एम एम एस/वाईएस/केबल टी.वी, सोशल मीडिया आदि)	एजेंसी, रिपोटर, स्वतंत्र, पत्रकार, कम्पनी या कोई अन्य व्यक्ति जिसे प्रभार/कमीशन, यदि कोई है (तो, का भुगतान किया गया है/देय है)	कुल राशि (रु में) स्तम्भ (3)+(4)	व्यय के स्रोत		
				अभ्यर्थी/ अधिकर्ता द्वारा राशि 6	राजनैतिक दल द्वारा राशि 7	अन्यों द्वारा राशि 8
2	3	4	5	6	7	8

शैलीशर्मा

न पर्वी के वितरण हेतु मतदान केंद्रों से बाहर अभ्यर्थियों के बूख (किआस्क) और प्रचार कार्यकर्ता/अधिकर्ताओं पर व्यय के बारे :

तारीख और स्थल	प्रचार कार्यकर्ताओं पर व्यय			उपगत/ प्राधिकृत कुल राशि (रु में)	व्यय के स्रोत		
	व्ययों का प्रकृति	दर	कार्यकर्ताओं/ अधिकर्ताओं की संख्या/किआस्क की संख्या		अभ्यर्थी/ अधिकर्ता द्वारा व्यय की गई राशि	राजनैतिक दलों द्वारा खर्च की गई राशि	अन्यों के द्वारा खर्च की गई राशि
2	3क	3ख	3ग	4	5	6	7
	मतदान पर्वी के वितरण हेतु स्थापित अभ्यर्थियों के बूख (किआस्क)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
	प्रचार कार्यकर्ताओं को पानदेय/वेतन इत्यादि	11	11	11	11	11	11
	भोजन व्यवस्था	756	92555	6900/-	6900/-	-	-
	आवास व्यवस्था	-	-	-	-	-	-
	अन्य	-	-	6900/-	6900/-	-	-

श्री. ली. श. र. (डी)

प्रचार कार्यकर्ताओं के व्यय

पंजाब विभाग

बि-7

अभ प्रचारण के प्रयोग में लाई गई स्वयं की निधि का विवरण

दिनांक	नकदी	अदाकर्ता बैंक के विवरण के साथ डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंक सं० आदि	कुल धन-रशि रुपये में	टिप्पणी
1	2	3	4	5
6-10-20	नगद	दार्थ नगद	2998	
10-10-20	नगद	दार्थ नगद	2000	
17-10-20	नगद	बैंक जमा	11500	
17-10-20	नगद	॥ ॥	2500	
22-10-20	नगद	स्वयं बैंक जमा	21000	
22-10-20	नगद	नगद	7500	
			<u>39998</u>	
			10073	

श्रीमती (रि)

H

पत्र संख्या-1/2020, पत्रा संख्या 15/2020

पृष्ठ-०

(यों) से प्राप्त नकदी या चीक या डिमाण्ड ड्राफ्ट या खाता स्थानांतरण द्वारा कुल धन राशि का विवरण

राजनैतिक दलों के नाम	दिनांक	नकदी	अदाकर्ता बैंक के विवरण के साथ डिमाण्ड ड्राफ्ट/चीक सं० आदि	कुल धन-राशि रुपये में	टिप्पणी
२	३	४	५	६	७
३	११-११-२०			१०	
			Null		
४					

शैली २/२५

सार और टी वी चैनल में आपराधिक पृष्ठभूमि, यदि कोई हो, के प्रकाशन पर उपगत व्यय का विवरण

समाचार पत्र		टेलीविजन			मुद्रण का तरीका (इलेक्ट्रॉनिक/पेक/डीडो/स्कन) (क्षय्य विवरण दें)	
समाचार पत्र नाम	प्रकाशन की तारीख	व्यय, जो उपगत किया गया हो (रु. में)	चैनल का नाम	अंतर्वेशन/दूरदर्शन प्रसारण की तारीख एवं समय	व्यय, जो उपगत किया गया हो (रु. में)	
2	3	4	5	6	7	8

Null

श्री 21/1/18

सूची 5 में :-

आदेश की प्रति जिसमें सभी वाहनों की सूची निहित है, जिसके लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा परमिट जारी किए गए हैं, संलग्न की जानी है।

यदि अभ्यर्थी/उसके रिश्तेदार/ऐजेंट का वाहन निर्वाचन कार्यों के प्रयोग में लाया जा रहा है, तो ऐसे सभी वाहनों को किराए पर लेने का कल्पित किराया, केवल एक वाहन को छोड़कर जो अभ्यर्थी का है और उसके प्रयोग में लाया जा रहा है, ईंधन का कल्पित किराया और ऐसे वाहनों के चालक का वेतन, उपरोक्त सारणी में व्यय की कुल धन राशि में जोड़ा जाएगा।

सभी अनुसूचितों में वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय अतिरिक्त किसी राजनैतिक दल द्वारा, या किसी व्यक्ति/कम्पनी/फर्म/संघों/व्यक्ति निकाय आदि द्वारा अभ्यर्थी के पक्ष पर उपलब्ध कराया जाता है तो ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं का कल्पित किराया ऊपर दिए संबंधित कॉलमों में दर्शाया जाना चाहिए।

भाग-III में, राजनैतिक दल या अन्यो से प्राप्त निधि तथा अभ्यर्थी की स्वयं की कुल धन-राशि का तिथिवार उल्लेख किया जाना चाहिए। ऐसे सभी मामलों में ऐसी धन राशि निर्वाचन व्यय के लिए खोले गए अभ्यर्थी के बैंक खाते में पहले जमा कर देनी चाहिए।

सार विवरणी का प्रत्येक पृष्ठ अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

शे. 2, 21E

भाग-IV
शपथ-पत्र का प्रारूप



जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष (जिला, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)

शैलेश राठी

सुपुत्र/पत्नी/पुत्री श्री चनेश्वर पासवान

33 वर्ष निवासी एतद्वारा ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठापूर्वक निम्न प्रकार से घोषणा करता हूँ :-

कि मैं कुटुम्ब 222 की लोक-सभा/विधानसभा के लिए साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में कुटुम्ब 222

संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने का अभ्यर्थी था, जिसका परिणाम 10-11-2020 को घोषित किया गया था।

यह कि उपरोक्त निर्वाचन के संबंध में दिनांक 10-11-2020 (वह तारीख जब मुझे नमांकित किया गया था) एवं इसके परिणाम की घोषणा की तारीख, दोनों दिन को सम्मिलित करते हुए, के बीच मैंने/मैंने निर्वाचन अधिकर्ता ने मेरे एवं मेरे निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा उपगत/प्राधिकृत सभी व्यर्थों का पृथक एवं सही लेखा रखा है।

यह कि उक्त लेखा, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिए दिए गए रजिस्टर में अनुसूचित किया गया था एवं उक्त रजिस्टर, इस लेखा में उल्लिखित उल्लेख/बिल के साथ संलग्न है।

- 4) यह कि निर्वाचन के संबंध में इसमें संलग्न मेरे निर्वाचन व्यय के लेख में मेरे या मेरे निर्वाचन अधिकर्ता, मुझे प्रायोजित करने वाला राजनैतिक दल, अन्य संगठन/मुझे समर्थन देने वाले व्यक्तियों के निकायों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत निर्वाचन व्यय की सभी मदें इसमें शामिल हैं एवं उनमें (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 (1) के अंतर्गत स्पष्टीकरण 1 एवं 2 द्वारा इसके अन्तर्गत नेताओं की यात्रा के संबंध में किए गए व्यय को छोड़ कर) कुछ भी छिपाया अथवा गलत नहीं किया गया है।
- 5) यह कि निर्वाचन के संबंध में संलग्न-II में संलग्न निर्वाचन व्ययों के सार विवरण में मेरे/मेरे निर्वाचन अधिकर्ता, मुझे प्रायोजित करने वाले राजनैतिक दल/संगठन/मुझे समर्थन देने वाले व्यक्तियों के निकायों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत व्यय भी शामिल हैं।
- 6) यह कि पूर्व पैरा (4) में उक्त कथन मेरे/मेरे निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा उक्त लेखों के अनुसार सत्य है, और इनमें कुछ भी गलत नहीं है एवं किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया नहीं गया है।



Sd/- [Signature]
Identified By

अधिसाक्षी मेरे समक्ष 201... दिन में... प्रतिज्ञान/शपथ ली गई।

(साक्षर/अक्षर प्रधिकारी, अर्थात् प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/अथवा शपथ आयुक्त या अन्य प्राधिकृत अधिकारी/साक्षर तथा मुहर)

शैलेश राठी

[Signature]
10/11/20

HS 0001063783

GOVERNMENT OF BIHAR
e-Court Fee



DATE & TIME :

11-DEC-2020 13:06:43

NAMES OF THE ACC/ REGISTERED USER :

SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED

LOCATION :

CIVIL COURT AURANGABAD

NAME OF LITIGANT :

SHAILESH RAHI


e-COURT RECEIPT NO.

BRCT1111L2006N980

e-COURT FEE AMOUNT :

₹ 100

(Rupees One Hundred Only)



BRCT1111L2006N980

Statutory Alert : The authenticity of this e-Court fee receipt should be verified at www.shilostamp.com. Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority. This receipt is valid only after verification & locking by the Court Official.



गार्व का पर्व